संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 08/2016 – सीएसपी **दिनांक : 27.04.2016**

(आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 27.05.2016)

सिविल सेवा परीक्षा, 2016

(आयोग की वेबसाइट – http://www.upsc.gov.in)

[redacted]

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :
परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन पूर्णत: अनंतिम होगा।

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवारों के साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हक घोषित किए जाने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों की जांच की जाती है।

2. आवेदन कैसे करें :
उम्मीदवार **http://www.upsconline.nic.in** वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश परिशिष्ट-II में दिए गए हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

3. आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख :
ऑनलाइन आवेदन पत्र **27 मई, 2016 को रात्रि 11 बजकर 59 मिनट** तक भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

4. पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा।

5. गलत उत्तरों के लिए दंड :
उम्मीदवार यह नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (ऋणात्मक अंकन) दिया जाएगा।

6. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 बजे और सायं 5.00 बजे के बीच आयोग परिसर में गेट 'सी' के निकट संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/ 011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं ।

7. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है । इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर, भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जन सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स, ब्लूटूथ सहित कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न लाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

8. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी मूल्यवान/कीमती सामान परीक्षा भवन में न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती. आयोग इस संबंध में किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

[redacted]

[illegible] [illegible] [illegible]. 08/2016 -[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], 2016

[illegible]. [illegible]. 1/8/2015-[illegible].1([illegible]) - [illegible] 27 अप्रैल, 2016 [illegible] 07 अगस्त, 2016 [illegible]।

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा
(ii) भारतीय विदेश सेवा
(iii) भारतीय पुलिस सेवा
(iv) भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा, ग्रुप 'क'
(v) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, ग्रुप 'क'
(vi) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद), ग्रुप 'क'
(vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप 'क'
(viii) भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), ग्रुप 'क'
(ix) भारतीय आयुध कारखाना सेवा, ग्रुप 'क' (सहायक कर्मशाला प्रबंधक, प्रशासनिक)
(x) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'क'
(xi) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'
(xii) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ग्रुप 'क'
(xiii) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप 'क'
(xiv) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप 'क'
(xv) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप 'क' के सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद
(xvi) भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप 'क'
(xvii) भारतीय सूचना सेवा (कनिष्ठ ग्रेड), ग्रुप 'क'
(xviii) भारतीय व्यापार सेवा, ग्रुप 'क' (ग्रेड-III)
(xix) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा, ग्रुप 'क'
(xx) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, ग्रुप 'ख' (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)
(xxi) दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'
(xxii) दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'
(xxiii) पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'
(xxiv) पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'.

- परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग **1079** हैं जिसमें **34** रिक्तियां शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं अर्थात् **14** रिक्तियां चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, **07** रिक्तियां दृष्टिहीन या कमजोर दृष्टि तथा **13** रिक्तियां श्रवण बाधित के लिए

हैं। **संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों से वास्तविक रिक्तियां प्राप्त होने पर, बाद में रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।**

- सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा।

शारीरिक अपेक्षाओं तथा कार्यालय वर्गीकरण सहित शारीरिक विकलांग श्रेणी के लिए उपयुक्त चिन्हित की गई सेवाओं की सूची

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रेणी (श्रेणियां) जिसके लिए पहचान की गई	*कार्यात्मक वर्गीकरण	*शारीरिक अपेक्षाएं
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	(i) लोकोमोटर अशक्तता	बीए, ओएल, ओए, बीएच, एमडब्ल्यू, बीएल, ओएएल, बीएलए, बीएलओए	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी, बी	एमएफ, पीपी, एल, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी
		(iii) श्रवण बाधित	पीडी, एफडी	एमएफ, पीपी, एल, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी
2.	भारतीय विदेश सेवा	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल, ओएएल	एस, एसटी, डब्ल्यू, आरडब्ल्यू, सी, एमएफ, एसई
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी	आरडब्ल्यू, एसई
		(iii) श्रवण बाधित	एचएच	एच
3.	भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओएल, ओए	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एल, एसई, एमई आरडब्ल्यू, एच, सी
		(ii) श्रवण बाधित	एचएच	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एल, एसई, एमई, आरडब्ल्यू, एच, सी
4.	भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा,	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल, बीएल,	एस, डब्ल्यू, एसई, आरडब्ल्यू, सी, बीएन,

	ग्रुप 'क'		एमडब्ल्यू, बीए, बीएच	एसटी, एच, एल, केसी, एमएफ, पीपी
		(ii) दृष्टि बाधित	बी, एलवी (पीबी)	उपर्युक्त अनुसार
		(ii) श्रवण बाधित	पीडी, डी	उपर्युक्त अनुसार
5.	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा, ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एसई, आरडब्ल्यू, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एचएच	उपरोक्त अनुसार
6.	भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओएल, ओए	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एसई, आरडब्ल्यू, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी	उपर्युक्त अनुसार
		(iii) श्रवण बाधित	एचएच	उपर्युक्त अनुसार
7.	भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल, ओएएल, बीएल	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, आरडब्ल्यू, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी, बी	एमएफ, पीपी, एम, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी
		(iii) श्रवण बाधित	पीडी, एफडी	एमएफ, पीपी, एम, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी
8.	भारतीय आयुध कारखाना सेवा, ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल,	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, बीएन, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी(पीबी)	उपर्युक्त अनुसार
		(iii) श्रवण बाधित	पीडी	उपर्युक्त अनुसार
9.	भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अक्षमता	ओए, ओएल,	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी	उपर्युक्त अनुसार

		(iii)श्रवण बाधित	एचएच	उपर्युक्त अनुसार
10.	भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल, ओएएल, बीएल	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, आरडब्ल्यू, एच, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी	उपर्युक्त अनुसार
		(iii) श्रवण बाधित	एचएच	उपर्युक्त अनुसार
11.	भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, बीएलओए	एस, बीएन, आरडब्ल्यू, एसएफ, एसई, सी
		(ii) श्रवण बाधित	एचएच	उपर्युक्त अनुसार
12.	भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल,	एस, एसटी, डब्ल्यू, आरडब्ल्यू एसई,, एचसी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी	उपर्युक्त अनुसार
		(iii) श्रवण बाधित	पीडी	उपर्युक्त अनुसार
13.	भारतीय रेलवे यातायात सेवा ग्रुप 'क'	लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, आरडब्ल्यू, एच, सी
14.	भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल, बीएल	एस, एसटी, बीएल, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, एच, सी
		(ii) श्रवण बाधित	एचएच	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, पीपी, केसी, एसई, आरडब्ल्यू, एच, सी
15.	भारतीय सूचना सेवा, ग्रुप 'क'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	बीए, ओएल, ओए, बीएच, एमडब्ल्यू, बीएल, ओएएल, बीएलए, बीएलओए	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी, बी	एमएफ, पीपी, एल, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी
		(iii) श्रवण बाधित	पीडी, एफडी	एमएफ, पीपी, एल, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी

16.	भारतीय व्यापार सेवा, ग्रुप 'क' (ग्रेड-III)	(i) लोकोमोटर अशक्तता	बीए, ओएल, ओए, बीएच, एमडब्ल्यू, बीएल, ओएएल, बीएलए, बीएलओए	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी, बी	एमएफ, पीपी, एल, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी
		(iii) श्रवण बाधित	पीडी, एफडी	एमएफ, पीपी, एल, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी
17.	भारतीय कारपोरेट विधि सेवा	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल, ओएएल बीएल	एसटी, आरडब्ल्यू, एसई, एस, बीएन, एच
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी	उपर्युक्त अनुसार
		(iii) श्रवण बाधित	एचएच	उपर्युक्त अनुसार
18.	सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, ग्रुप 'ख' (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)	(i) लोकोमोटर अशक्तता	ओए, ओएल, बीएल	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी, बी	उपर्युक्त अनुसार
		(iii) श्रवण बाधित	एचएच	उपर्युक्त अनुसार
19.	दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'	(i) लोकोमोटर अशक्तता	बीए, ओएल, ओए, बीएच, एमडब्ल्यू, बीएल, ओएएल, बीएलए, बीएलओए	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी, बी	एमएफ, पीपी, एल, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी
		(iii) श्रवण बाधित	पीडी, एफडी	एमएफ, पीपी, एल, केसी, बीएन, एसटी, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी
20.	पांडिचेरी सिविल सेवा,	(i) लोकोमोटर	ओए, ओएल,	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई,

	ग्रुप 'ख'	अशक्तता	ओएएल, बीएल	आरडब्ल्यू, एच, सी
		(ii) दृष्टि बाधित	एलवी	उपर्युक्त अनुसार
		(iii) श्रवण बाधित	एचएच	उपर्युक्त अनुसार

*** कार्यात्मक वर्गीकरण तथा शारीरिक अपेक्षाओं का विस्तृत विवरण कृपया इस नोटिस के पैरा-8 में देखें।**

2. (क) परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

(i) सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र

केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र
अगरतला	गाजियाबाद	गौतमबुद्धनगर
आगरा	गौरखपुर	पणजी (गोवा)
अजमेर	गुड़गांव	पटना
अहमदाबाद	ग्वालियर	पोर्ट ब्लेयर
ऐजल	हैदराबाद	पुदुचेरी
अलीगढ़	इम्फाल	पूना
इलाहाबाद	इंदौर	रायपुर
अनन्तपुरु	ईटानगर	राजकोट
औरंगाबाद	जबलपुर	रांची
बैंगलूरू	जयपुर	संबलपुर
बरेली	जम्मू	शिलांग
भोपाल	जोधपुर	शिमला
बिलासपुर	जोरहाट	सिलिगुडी
चंडीगढ़	कोच्चि	श्रीनगर
चेन्नई	कोहिमा	ठाणे
कोयम्बटूर	कोलकाता	तिरूवनंतपुरम
कटक	कोझीकोड (कालीकट)	तिरूचिरापल्ली
देहरादून	लखनऊ	तिरूपति
दिल्ली	लुधियाना	उदयपुर
धारवाड़	मदुरै	वाराणसी
दिसपुर	मुम्बई	वेल्लोर
फरीदाबाद	मैसुरू	विजयवाड़ा
गंगटोक	नागपुर	विशाखापटनम
गया	नवी मुंबई	वारंगल

(ii) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र

केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र
अहमदाबाद	देहरादून	मुम्बई
ऐजल	दिल्ली	पटना
इलाहाबाद	दिसपुर गुवाहाटी)	रायपुर
बेंगलूरू	हैदराबाद	रांची
भोपाल	जयपुर	शिलांग
चंडीगढ़	जम्मू	शिमला
चेन्नई	कोलकाता	तिरूवनंतपुरम
कटक	लखनऊ	विजयावाडा

आयोग यदि चाहे तो, परीक्षा के उपर्युक्त यथाउल्लिखित केन्द्रों तथा उसके प्रारंभ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता तथा नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा (सीलिंग) निर्धारित होगी। केन्द्रों का आबंटन "**पहले आवेदन-पहले आबंटन**" के आधार पर किया जाएगा और किसी केन्द्र विशेष की क्षमता पूरी हो जाने के उपरांत उस केन्द्र पर आबंटन रोक दिया जाएगा। सीलिंग के कारण जिन उम्मीदवारों को अपनी पसंद का केन्द्र प्राप्त नहीं होता उन्हें शेष केन्द्रों में से कोई केन्द्र चुनना होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें ताकि उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र प्राप्त हो सके।
टिप्पणी: पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद, आयोग को यह अधिकार है कि वह अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है, यदि परिस्थिति की मांग ऐसी हो।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2016 के लिए सभी परीक्षा केन्द्र आंशिक दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए अब परीक्षा संबद्ध पदनामित केन्द्रों पर होगी। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है, उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि केंद्र परिवर्तन हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि केंद्र परिवर्तन हेतु उनके अनुरोध को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ख) परीक्षा की योजना :

सिविल सेवा परीक्षा की दो अवस्थाएं होंगी (नीचे परिशिष्ट-I खंड-I के अनुसार).

(i) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुपरक) तथा

(ii) उपर्युक्त विभिन्न सेवाओं और पदों में भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा (लिखित तथा साक्षात्कार)।

केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए आयोग द्वारा पात्र घोषित किए जाएंगे उनको विस्तृत आवेदन प्रपत्र में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि उनको उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रधान परीक्षा संभवतः **दिसंबर, 2016** में होगी।

3. पात्रता की शर्तें :

(i) राष्ट्रीयता :

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(2) अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जैरे, इथियोपिया तथा वियतनाम से प्रवजन करके आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए।

एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) वर्गों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

(ii) आयु - सीमाएं :

(क) उम्मीदवार की आयु **1 अगस्त,** 2016 को पूरे 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, किन्तु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म **2 अगस्त, 1984** से पहले और **1 अगस्त, 1995** के बाद का नहीं होना चाहिए। विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में संबंधित नियमों/विनियमों में समरूप परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्रवाई अलग से की जा रही है।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिये लागू आरक्षण को पाने के पात्र हों।

(iii) ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक।

(iv) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने **1 अगस्त, 2016** को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की हो और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल **1 अगस्त 2016** से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है), या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता, या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(vi) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने **1 अगस्त, 2016** को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा। अधिकतम 5 वर्ष।

(vii) नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 10

वर्ष तक।

टिप्पणी-I : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (ii)(ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात, जो भूतपूर्व सैनिकों जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले व्यक्तियों दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं शारीरिक रूप से अपंग आदि की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी-II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी-III : आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा 3 (ii) (ख) (v) तथा (vi) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-IV : उपर्युक्त पैरा 3(ii)(ख) (vii)के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को आवंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो।

ये प्रमाण पत्र सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय ही प्रस्तुत करने हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथपत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

अनुदेशों के इस भाग में आए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माधयमिक परीक्षा प्रमाणपत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-I : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-II : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने के बाद, बाद में या किसी परीक्षा में उसमें किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-III : उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद में किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म

तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(iii) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता :

उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पणी-I : कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा परिणाम की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए अर्हक घोषित किए गए सभी उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ-साथ उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्तुत न किए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रधान परीक्षा के लिए आवेदन- प्रपत्र **अक्तूबर/नवंबर, 2016** माह में किसी समय मंगाए जाएंगे।

टिप्पणी-II : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी-III : जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों, जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्राप्त हैं वे भी उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

टिप्पणी- IV: जिन उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम व्यावसायिक एमबीबीएस अथवा कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास की हो लेकिन उन्होंने सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा का आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय अपना इण्टर्नशिप पूरा नहीं किया है तो वे भी अनन्तिम रूप से परीक्षा में बैठ सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने आवेदन-प्रपत्र के साथ संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था के प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें कि उन्होने अपेक्षित अंतिम व्यावसायिक चिकित्सा परीक्षा पास कर ली है। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय/संस्था के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अपनी मूल डिग्री अथवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे कि उन्होंने डिग्री प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षाएं (जिनमें इण्टर्नशिप पूरा करना भी शामिल है) पूरी कर ली हैं।

(iv) अवसरों की संख्या :

(अ) सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हों, छः बार बैठने की अनुमति दी जाएगी।

परन्तु अवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा।

परन्तु आगे यह और भी है कि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को, जो अन्यथा पात्र हों, स्वीकार्य अवसरों की संख्या नौ होगी। यह रियायत/छूट केवल वैसे अभ्यर्थियों को मिलेगी जो आरक्षण पाने के पात्र हैं।

बशर्ते यह भी कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को उतने ही अवसर अनुमत होंगे जितने कि उसके समुदाय के अन्य उन उम्मीदवारों को जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं हैं या इस शर्त के अध्यधीन हैं कि सामान्य वर्ग से संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार नौ अवसरों के पात्र होंगे। विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में संबंधित नियमों/ विनियमों में समरुप परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्रवाई अलग से की जा रही है । यह छूट शारीरिक रूप से विकलांग उन उम्मीदवारों को उपलब्ध होगी जो कि ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आरक्षण को प्राप्त करने के पात्र होंगे।

1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा।
2. यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में वस्तुतः परीक्षा देता है तो उसका परीक्षा के लिए एक प्रयास समझा जाएगा।
3. अयोग्यता/उम्मीदवारी के रद्द होने के बावजूद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य एक प्रयास गिना जाएगा।

(v) परीक्षा के लिए आवेदन करने पर प्रतिबंध :

कोई उम्मीदवार किसी पूर्व परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और उस सेवा का सदस्य बना रहता है तो वह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पात्र नहीं होगा।

यदि ऐसा कोई उम्मीदवार **सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2016** के समाप्त होने के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तथा वह उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो वह **सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016** में बैठने का पात्र नहीं होगा चाहे उसने **प्रारंभिक परीक्षा, 2016** में अर्हता प्राप्त कर ली हो।

यह भी व्यवस्था है कि **सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2016** के प्रारंभ होने के पश्चात् किन्तु उसके परीक्षा परिणाम से पहले किसी उम्मीदवार की भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है और वह उसी सेवा का सदस्य बना रहता है तो **सिविल सेवा परीक्षा, 2016** के परिणाम के आधार पर उसे किसी सेवा/पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) शारीरिक मानक :

सिविल सेवा परीक्षा, 2016 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को **दिनांक 27 अप्रैल, 2016** के भारत के राजपत्र

(असाधारण) में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के परिशिष्ट-3 में दिए शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियमों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क

(क) उम्मीदवारों को 100/- (सौ रुपये मात्र) फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा./ महिला/विकलांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

ध्यान दें : जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। "नकद भुगतान प्रणाली" का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 26.05.2016 **को रात्रि** 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात 27.05.2016 **को** 23.59 बजे तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें फर्जी भुगतान मामला समझा जाएगा और ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

इन आवेदकों को ई-मेल के जरिए यह भी सूचित किया जाएगा कि वे आयोग को किए गए अपने भुगतान के प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करें। आवेदकों को इसका प्रमाण 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तब उनका आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

सभी महिला उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों से संबद्ध उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्राप्त नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा आरोग्यता (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। शुल्क में छूट का दावा करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से अक्षम होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से

प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

टिप्पणी : शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद), सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार को आवंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

टिप्पणी-I : जिन आवेदन-पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-II : किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

टिप्पणी-III : यदि कोई उम्मीदवार 2015 में ली गयी सिविल सेवा परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करना चाहता हो, तो उसे परीक्षाफल या नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना ही अपना आवेदन पत्र भर देना चाहिए।

टिप्पणी-IV : प्रधान परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जायेगा, उनको पुनः रु. 200 (केवल दो सौ रुपये) के शुल्क का भुगतान करना होगा।

5. आवेदन कैसे करें :
(क) उम्मीदवार http://www/upsconline.nic.in वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आवेदकों को केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार ये नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

(ख) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए। जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उनको अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हैं उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

टिप्पणी-1: उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-2: दृष्टिहीन और चलने में असमर्थ एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित उम्मीदवार जिनकी कार्य निष्पादन क्षमता (लेखन क्षमता) धीमी हो जाती है (न्यूनतम 40% तक अक्षमता) द्वारा स्क्राइब (लेखन सहायक) की सहायता लेने के संबंध में जानकारी हेतु उपयुक्त प्रावधान आरंभिक ऑनलाइन आवेदन पत्र के समय ही किए गए हैं।

टिप्पणी-3: सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2016 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रकार की सूचना का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ही करना होगा : (क) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के केन्द्रों का विवरण (ख) दोनों परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक विषयों का चयन (ग) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा हेतु परीक्षा देने का माध्यम और (घ) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए अनिवार्य भारतीय भाषा।

टिप्पणी-4: उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणी, शारीरिक रूप से अक्षम और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। केवल प्रधान परीक्षा के समय इनकी जांच की जायेगी । परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, प्रधान (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि प्रारंभिक परीक्षा, प्रधान (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा, 2016 की नियमावली के नियम 14 की शर्तों जो कि नीचे उद्धृत हैं, के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

जिस उम्मीदवार ने :

(i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है अर्थात् :

(क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ख) दबाव डालना, या

(ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं. जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है. अर्थात्ः

(क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना,

(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में दुर्व्यव्यवहार करना, जिसमें उत्तर-पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा

(x) परीक्षा संचालित करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर, ब्लूटूथ या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

(xii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गये प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा

(xiii) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी/किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे-

(क) आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार को उस परीक्षा के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है।

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन-प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र *27* **मई, 2016 रात्रि 11.59 बजे** तक भरे जा सकते हैं, जिसके पश्चात लिंक निष्क्रिय (inactive) हो जाएगा।

7. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रांरभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. ई-प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से **तीन सप्ताह** पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। **यदि किसी उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।**

सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

केवल इस तथ्य का, कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या किसी उम्मीदवार द्वारा अपने प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उसकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है, आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

उम्मीदवार उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप से लिखे जा सकते हैं।

(ii) उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट से एक से अधिक ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की स्थिति में, परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही प्रवेश प्रमाण पत्र का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य आयोग के कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

(iii) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल प्राक्चयन परीक्षण है। इसलिए आयोग द्वारा इस संबंध में सफल या असफल उम्मीदवारों को कोई अंक-पत्र नहीं भेजा जाएगा और कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(iv) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए ।

1. **परीक्षा का नाम और वर्ष।**
2. **रजिस्ट्रेशन आईडी (RID)।**
3. **अनुक्रमांक नंबर (यदि प्राप्त हुआ हो)।**
4. **उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा मोटे अक्षरों में)।**
5. **आवेदन प्रपत्र में दिया डाक का पूरा पता।**

ध्यान दें-I : जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।

ध्यान दें-II : उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्र की संख्या भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेनी चाहिए। उन्हें सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा की उम्मीदवारी के संबंध में इसे दर्शाना होगा।

8. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्रता वही होगी जो "अक्षम व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995" में है जो कि नोटिस के पैरा-1 के नोट-II में दिया गया है।

बशर्ते कि शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को शारीरिक अपेक्षाओं/कार्यात्मक वर्गीकरण (सक्षमताओं/अक्षमताओं के संबंध में उन विशेष पात्रता मानदण्डों को पूरा करना भी अपेक्षित होगा जो इसके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अभिज्ञात सेवा/पद के अपेक्षाओं के संगत हो।

उदाहरणार्थ, शारीरिक अपेक्षाएं और कार्यात्मक वर्गीकरण निम्न में से एक या अधिक हो सकते हैं :-

कोड	**शारीरिक अपेक्षाएं**
एस	बैठना
एसटी	खड़े होना
डब्ल्यू	चलना

एसई	देखना
एच	सुनना/बोलना
आरडब्ल्यू	पढ़ना/लिखना
सी	वार्तालाप
एमएफ	अंगुलियों द्वारा निष्पादन
पीपी	खींचना/धक्का देना
एल	उठाना
केसी	घुटने के बल बैठना और क्राउंचिंग
बीएन	झुकना

कोड	**कार्यात्मक वर्गीकरण**
ओएच	अस्थि विकलांग
वीएच	दृष्टि बाधित
एचएच	श्रवण बाधित
ओए	एक हाथ प्रभावित
ओएल	एक पैर प्रभावित
बीए	दोनों भुजाएं प्रभावित
बीएच	दोनों हाथ प्रभावित
एमडब्लयू	मांसपेशीय दुर्बलता
ओएएल	एक भुजा और एक पैर प्रभावित
बीएलए	दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं प्रभावित
बीएलओए	दोनों पैर और एक भुजा प्रभावित
एलवी	कम दृष्टि
बी	दृष्टिहीन
पीडी	आंशिक बधिर
एफडी	पूर्णतया बधिर

टिप्पणी : उपर्युक्त सूची संशोधन के अध्यधीन है।

9. किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है, तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी सिद्धांत का अनुसरण शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए भी किया जाएगा।

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की तारीख के समय के बीच थोड़ा

बहुत अंतर (अर्थात् 2-3 महीने) हुआ हो। ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार दुर्भाग्यवश परीक्षा के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उम्मीदवार को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिएं ताकि आयोग उसके मामले में मेरिट आधार पर निर्णय ले सके।

10. अजा/अजजा/अपिव/शावि/पूर्व सेवाकार्मिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार **आरक्षण/रियायत** के हकदार हैं। उपर्युक्त लाभों/नोटिस से संबद्ध नियमावली **में दिए गए अनुबंध के अनुसार उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में आवश्यक सभी प्रमाण पत्रों पर सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2016 के लिए आवेदन जमा करने के निर्धारित तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख अंकित होनी चाहिए।**

11. आवेदनों की वापसी :

उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(संजय महर्षि)
संयुक्त सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट - II

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को वेबसाइट www.upsconline.nic.in का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माधयम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।
- उम्मीदवारों को 100/- रु. (केवल एक सौ रुपए) के शुल्क(अजा/अजजा/ महिला/शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।
- ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर .जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 केबी से अधिक नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफ के लिए आकार में 3 केबी से कम न हो और हस्ताक्षर के लिए 1 केबी से कम न हो।
- ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को दिनांक **27 अप्रैल, 2016 से 27 मई, 2016 रात्रि 11.59 बजे तक** भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
- आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरने चाहिए, तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो वह यह सुनिश्चित करे कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है।
- एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।
- **आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।**
- **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।**
- **उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।**

परिशिष्ट-III

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. **परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी**

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म का काला बाल पेन, लिखने के लिए भी उन्हें काले बाल पेन का ही प्रयोग करना चाहिए। उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. **परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी**

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेक्ष उपकरणों, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, परीक्षा हाल में न लाएं।

मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है, इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर/ब्लूटूथ सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. **गलत उत्तरों के लिए दंड**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक काले बाल प्वांइट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बाल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए। **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बाल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बाल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।**

10. **उत्तर अंकित करने का तरीका**

"वस्तुपरक" परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर(जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है।

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1,2,3... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं, प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कोन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम हैं, **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बाल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है।**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बाल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसाकि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) • (c) (d)

11. **स्कैनेबल उपस्थिति सूची में ऐंट्री कैसे करें :**

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, जैसा नीचे दिया गया है, अपने कॉलम के सामने **केवल काले बाल पेन** से संगत विवरण भरना है।

(i) उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में (p) वाले गोले को काला करें।
(ii) समुचित परीक्षण पुस्तिका सीरीज के संगत गोले को काला करें।
(iii) समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।
(iv) समुचित उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।
(v) दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरणों में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

<u>अनुबंध</u>

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे। उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

Centre केन्द्र	Subject विषय	S. Code विषय कोड			Roll Number अनुक्रमांक							

मान लो यदि आप गणित के प्रश्न-पत्र* के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 0812769 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बाल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।*

Centre केन्द्र	Subject विषय	S. Code विषय कोड		Roll Number अनुक्रमांक	
दिल्ली	सामान्य योग्यता परीक्षा	(ए)	0 0		0 8 1 2 7 6 9

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बाल पेन से लिखें।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।

आप काले बॅल पेन से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूढें। जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य काले बाल पेन से करें। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए।

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के सामान्य योग्यता विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है, इसे इस प्रकार लिखें।

पुस्तिका क्रम (ए) Booklet Series (A)	विषय Subject	0	1
●			
(B)		कृपया अंग्रेजी से देखें	
(C)			
(D)			

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों

अनुक्रमांक
Roll Numebrs

0	8	1	2	7	6	9

कृपया अंग्रेजी से देखें

के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे, तब आप अनुक्रमांक 0812769 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।